

ध्यमधारमा

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937 No. 120] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/PAUSA 25, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016.

आदेश

का.आ. 136(अ).—यत:, दिनांक 23 जनवरी 2003 के का.आ. सं. 67(अ), जिसमें बासमती चावल की पकाए जाने से पूर्व "न्यूनतम औसत लंबाई" में संशोधन करने के कुछ प्रस्तावों के प्रारुप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) के अन्तर्गत बने निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खण्ड -3 के उपखण्ड (ii) में दिनांक 8 अक्टूबर, 2015 को का.आ. 2762(अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे।

और, यत: इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आधिकारिक राजपत्र में उक्त प्रारूप आदेश के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अंदर आमंत्रित किए गए थे ;

और, यत: उक्त प्रारूप आदेश व्यापक प्रचार के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया:

और, यत: उक्त प्रारूप के साथ राजपत्र जनता को दिनांक 21 अक्तूबर, 2015 को उपलब्ध कराया गया था;

और, यत: व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई;

अब, अत: केंद्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद के परामर्श से निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, दिनांक 23 जनवरी 2009 के आदेश सं. का.आ. 67(अ), में निम्निलखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

228 GI/2016 (1)

- 1. उक्त आदेश के पैराग्राफ (3) में,
 - i) खंड (क) को हटा दिया जाएगा;
 - ii) खंड (ख) को इसके खंड (क) के रूप में क्रम दिया जाएगा और इस प्रकार क्रम दिए गए खंड (क) के खण्ड में शब्दों,
 कोष्ठकों और अक्षरों के लिए 'खंड (क) और उपरोक्त खंड (ख)' हेतु शब्द 'यह खंड' प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - iii) मौजूदा खंड (ग) को खंड (ख) का क्रम दिया जाएगा और इसके परंतु क खंड (ख) को इस प्रकार क्रम दिया गया, विलोपन किया जाएगा:
 - iv) खण्ड (घ) को इसके खंड (ग) के रूप में क्रम दिया जाएगा और इस प्रकार क्रम दिए गए खंड (ग) के खण्ड में शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के लिए 'खंड (क), (ख) और (ग)' हेतु शब्द 'यह खंड' कोष्ठकों, अक्षरों और शब्दों के लिए (क) और (ख) में प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. उक्त आदेश में, अनुसूची में,—

- i) शीर्षक 'मिल्ड', कॉलम (2) के तहत ग्रेड 'बी' के तहत मि. मी. में न्यूनतम औसत पहले से पकाई गई लंबाई के संबंध में '6.8' के स्थान पर '6.61' किया जाए:
- ii) शीर्षक 'मिल्ड सेला', कॉलम (2) के तहत ग्रेड 'बी' के तहत प्रविष्टि के लिए मि. मी. में न्यूनतम औसत पहले से पकाई गई लंबाई के संबंध में '6.8' के स्थान पर '6.61' किया जाए;
 - 3. यह आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

[फा. सं. 2/39/2012–निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, में का.आ. 67(अ), दिनांक 23 जनवरी, 2003 और बाद में संशोधन सं. का.आ. 1881, दिनांक 25 जून, 2003 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 13th January, 2016

S.O. 136(E).—Whereas, draft of certain proposals for amending the Order number S.O. 67(E), dated the 23rd January 2003 which specified the "Minimum Average Precooked Length in mm" in Basmati Rice, was published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. 2762(E) dated 8th October, 2015, by the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, as required under sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 made under the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all the persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said draft Order in the Official Gazette;

And, whereas the said draft Order was placed on the official website of Export Inspection Council for it's vide publicity;

And, whereas the Gazette copy containing the said draft Order was made available to the public on 21st October 2015;

And, whereas no objections were raised by the persons;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 67(E), dated the 23rd January 2003 namely:-

- 1. In the said Order, in paragraph (3),-
 - (i) clause (a) shall be omitted;
 - (ii) clause (b) shall be re-numbered as clause (a) thereof, and in the proviso to clause (a) as so re-numbered, for the words, brackets and letters "clause (a) and (b) above", the words "this clause" shall be substituted;
 - (iii) existing clause (c) shall be re-numbered as clause (b) thereof, and proviso-clause (b) as so re-numbered, shall be omitted;
 - (iv) existing clause (d) shall be re-numbered as clause (c) thereof, and in clause (c) as so renumbered, for the brackets, letters and word "(a), (b) and (c)", the brackets, letters and word "(a) and (b)" shall be substituted.
- 2. In the said Order, in the Schedule -
 - (i) under the heading 'MILLED', under Grade 'B', for entry under column (2) relating to Minimum Average Precook Length in mm" for "6.8" substitute "6.61";
 - (ii) under the heading "MILLED PARBOILED", under Grade 'B', for entry under column (2) relating to "Minimum Average Precook Length in mm" for "6.8" substitute "6.61".
- 3. This Order shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/39/2012-Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 67(E), dated the 23rd January, 2003 and subsequently amended vide number S.O. 1881, dated the 25th June, 2003.